



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082025-265383
CG-DL-E-12082025-265383

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947

No. 500]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 544(अ).— वर्ष 2015 की मूल अपील (ओए) संख्या 3122 में माननीय कैट, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के दिनांक 21.02.2017 के आदेश के अनुपालन में केंद्र सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी की गई दिनांक 28 अगस्त, 2018 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 818 (अ) [फाइल संख्या 11031/02/2016-अ. भा. से -II (क)] में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा 1(2) में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"वे दिनांक 12.03.2015 से प्रवृत्त होंगे"

[फा. सं. 11031/02/2016-अभासे -II (क)]

भूपिंदर पाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th August, 2025

G.S.R. 544(E).— In compliance with the order dated 21.02.2017 of Ld. CAT, Principal Bench, New Delhi in OA No 3122 of 2015, the Central Government, in partial modification of the Notification G.S.R. 818(E) dated 28th August, 2018 [File No.11031/02/2016-AIS-II (A)] issued by the Ministry of Personnel, P.G. & Pensions (Department of Personnel & Training), the following shall be substituted in Para 1 (2):

“They shall come into force w.e.f. 12.03.2015.”

[F. No. 11031/02/2016-AIS-II(A)]

BHUPINDER PAL SINGH, Under Secy.